



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2005/वैशाख 29, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2005/VAISAKHA 29, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

का.आ. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में, क्रम सं. 68 एफएफएफ के सामने विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 86ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों का उक्त अनुसूची से लोप करती है।

[फा. सं. एन एच-14012/31/2004-पी एंड एम]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 254(अ), तारीख 25 फरवरी, 2004 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2005

S.O. 683 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits National Highway No. 86A and the entries relating thereto specified against serial number 68FFF in the Schedule to the said Act from the said Schedule.

[F. No. NH-14012/31/2004-P & M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Foot Note : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Gazette of India vide notification number S. R. O. 1180 dated 4th April, 1957 and was last amended vide notification number S.O. 254(E), dated 25th February, 2004